न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 02/2021
दायर दिनांकः 01.01.2021
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

श्री पुरुषोतम लाल पिता विजयराम जी जोशी (ब्राहम्ण) उम्र 82 वर्ष निवासी धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब राजसमंद
2. श्री भगवती लाल पिता स्व. बद्रीलाल जी जोशी निवासी धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्व आदेश/नामान्तरण सं. 785 दिनांक 03—07—1986 द्वारा नायब तहसीलदार साहब राजसमंद

उपस्थित :—

1. श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री अतुल पालीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील नायब तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 785 दिनांक 03.07.1986 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोइन्दा की आराजी चाह नं. 202, 213, 295, में अपीलार्थी का नाम नही लगने से नामान्तरण सं. 785 के विरूद्व प्रस्तुत की जा रही है, क्योकि पक्षकारो के बीच हुए समझौता विभाजन में कृषि भूमियो का बंटवाडा किया गया था। इकरारनामा दिनांक 24.11.1985 में खेती की जमीनो का बंटवाडा किया गया था। कुंवा/आ.चाह बाबत कोई तय नहीं हुई, क्योकि कुंआ का बंटवाडा नहीं होता है, पिलाई के दिन तय होते है, परन्तु भूमियो के विभाजन के साथ साथ कुआ में अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई, अभी कुछ दिनो पूर्व रेस्पोण्डेन्ट ने अन्य जमीन का विवाद किया व धमकाया कि कुंआ से पिलाई नहीं करने देगें। क्योकि जमीन में अपीलार्थी का नाम नहीं है। अपीलार्थी चकित हुआ, क्योकि अब

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तक अपीलार्थी उक्त कुंआ से अपने हक अनुसार पिलाई करता चला आ रहा है, जो आज भी जारी है। अपीलार्थी ने नकले निकलवाई तो दिनांक 15.12.2020 को म्युटेशन की नकल निकाली, जिससे पता चला कि तहसील में म्युटेशन सीट में अपीलार्थी का नाम ही नहीं भरा गया व बिना किसी कारण के कुंआ की जमीन में से नाम हटा दिया गया, ज़बकि समझौता/इकरार/विभाजन में कुंआ के बारे में एक शब्द भी नहीं था, जो विधिक त्रुटि है। वर्तमान नकल जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी चाह नं. 202, 213, 225 में 1/2 आधा हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो के नाम पर अंकित है, जबकि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 एक के नाम पर 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये एवं 1/4 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज होना चाहिये, किन्तु उक्त नामान्रणा में अपीलार्थी का नाम बिना कारण कुंओ की जमीनो से हटाने सम्पूर्ण 1/2 आधा हिस्सा अपीलार्थी के भाई बद्री लाल के नाम पर अंकित हो गया और उनकी मृत्यु पश्चात उनका 1/2 आधा हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट सं. 2 के नाम पर अंकित हो गया, जो अवैध है तथा अपील अपीलार्थी द्वारा इन आधारो पर यह प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 785 में आ. नं. 202 रकबा, बीघा, आ. नं. 213 रकबा 2 बीघा व आ. नं. 225 रकबा 3 बीघा आ. चाह में अपीलार्थी का नाम बिना युक्ति युक्त आधार के हटा देना अवैध, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होकर काबिल निरस्त है। अपीलार्थी, उसके भाई बद्रीलाल व बहन गोमती बाई के मध्य सन् 1985 में खेती की जमीनो के बारे में विभाजन विलेख/समझौता हुआ था, जिसमें जमीने अपीलार्थी व भाई बद्री लाल के 1/2 हिस्से, 1/2 हिस्से से बांटी गई, अर्थात पक्षकारो के मध्य कृषि भूमि के संबंध में बंटवाडा का समझौता हुआ था एवं विभाजन विलेख में भी कृषि भूमियों का ही उल्लेख है, कुंआ की जमीन शामिल में दर्ज थी, व शामिल में रहनी थी, किन्तु बिना युक्ति युक्त आधार के अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया जो असंवैधानिक व अवैध हैं कानून/व्यवहारतः किसी खातेदार का नाम रेकर्ड से तभी विलोपित किया जा सकता है, जब खातेदार अपना हक ट्रांसफर कर दे, कोर्ट का निर्णय/डिक्री हो या मृत्यु पर विरासत से, परन्तु प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया व जो समझौता/विभाजन हुआ, उसमें कुंआ की जमीनो बाबत कोई बात नहीं हुई, किन्तु बिना कारण अपीलार्थी का नाम हटा दिया जो अनुचित है। ऐसा लगता है कि यह सहवन से हुआ है। आज भी अपीलार्थी के खाते की आ.न. 204/2, 212/2 में सिंचाई का स्त्रोत चाह न. 213, 202 दर्शाया हुआ है। अपीलार्थी दिनांक 03.07.1986 के पश्चात भी आज दिन तक उक्त कुंआ आ. नं. 202, 213, व 225 से अपने हक अनुसार सिंचाई करता रहा है कभी भी नहीं रोका गया, अभी कुछ दिनो पूर्व रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो भगवती लाल जोशी के साथ जमीन का विवाद हुआ, (आ. नं. 203 की दिशा को लेकर), इस आ. नं. 203 के पश्चिम दिशा में बैठे हुए है, जैसा कि विभाजन विलेख में भी उल्लेख है, किन्तु रेस्पोण्डेन्ट पूर्व दिशा की ओर बता कर विवाद कर रहे है। इस पर विवाद के दरमियान हमें धमकाया कि कुंओ से सिंचाई बन्द कर देगे, रेकर्ड में नाम ही नहीं है। इस पर नकले निकलवाई तो दिनांक 15.12.2020 को म्युटेशन नं. 785 की नकल निकाली, तब ज्ञात हुआ कि बिना कारण अपीलार्थी का नाम म्युटेशन से हटा दिया है। जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी को इतने वर्षों में कभी परेशानी नहीं हुई, इस कारण खाते से नाम हटने का ज्ञान ही नहीं हुआ, अब जानकारी होते ही शीघ्रतम अवसर पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानबूझ कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूल या लापरवाही नही की गई है। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाकर आ. नं. 202, 213, 225 में अपीलार्थी का नाम पूर्ववत दर्ज किया जाने की कृपा की जावे। अर्थात गांव धोइन्दा तहसील राजसमंद की आ. नं. 202 रकबा 0.0405, आ. नं. 213 रकबा 0.0567, आ. नं. 225 रकबा 0.0243 में अपीलार्थी का नाम रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के साथ समान हक से अर्थात 1/4 हिस्सा अपीलार्थी का व 1/4 हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट का दर्ज किया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धोइन्दा की आराजी चाह नं. 202, 213, 295, में अपीलार्थी का नाम नही लगने से नामान्तरण सं. 785 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है, क्योकि पक्षकारो के बीच हुए समझौता विभाजन में कृषि भूमियो का बंटवाडा किया गया था। इकरार नामा दिनांक 24.11.1935 में खेती की जमीनो का बंटवाडा किया गया था। कुंवा/आ.चाह बाबत कोई तय नहीं हुई, क्योकि कुंआ का बंटवाडा नहीं होता है, पिलाई के दिन तय होते है, परन्तु भूमियो के विभाजन के साथ साथ कुआ में अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया। वर्तमान नकल जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी चाह नं. 202, 213, 225 में 1/2 आधा हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो के नाम पर अंकित है, जबकि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 एक के नाम पर 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये एवं 1/4 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज होना चाहिये, किन्तु उक्त नामान्रणा में अपीलार्थी का नाम बिना कारण कुंओ की जमीनो से हटाने सम्पूर्ण 1/2 आधा हिस्सा अपीलार्थी के भाई बद्री लाल के नाम पर अंकित हो गया और उनकी मृत्यु पश्चात उनका 1/2 आधा हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट सं. 2 के नाम पर अंकित होगया, जो अवैध है अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 785 में आ. नं. 202 रकबा बीघा, आ. नं. 213 रकबा 2 बीघा व आ. नं. 225 रकबा 3 बीघा आ. चाह में अपीलार्थी का नाम बिना युक्ति युक्त आधार के हटा देना अवैध, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होकर काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाकर आ. नं. 202, 213, 225 में अपीलार्थी का नाम पूर्ववत दर्ज किया जाने की कृपा की जावे। अर्थात गांव धोइन्दा तहसील राजसमंद की आ. नं. 202 रकबा 0.0405, आ. नं. 213 रकबा 0.0567, आ. नं. 225 रकबा 0.0243 में अपीलार्थी का नाम रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के साथ समान हक से अर्थात 1/4 हिस्सा अपीलार्थी का व 1/4 हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट का दर्ज किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत समझौता/विभाजन पत्र के अनुसार ही यह नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार एव विधिसम्मत की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को कण्डोन करने का कोई आधार नहीं है। तथा नामान्तरकण के करीब 30 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा विधिसम्मत व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए नामान्तरकण खोला गया है। क्योंकि नामान्तरकरण पर स्वयं पुरूषोत्तम के हस्ताक्षर अंकित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील नायब तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 03.07.1986 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि सह खातेदारो के बीच हुए समझौता विभाजन में कृषि भूमियो का बंटवाडा किया गया था। इकरारनामा दिनांक 24.11.1985 में खेती की जमीनो का बंटवाडा किया गया था परन्तु भूमियो के विभाजन के साथ–साथ कुआ में अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाकर आ. नं. 202, 213, 225 में अपीलार्थी का नाम भी दर्ज किया जाने की कृपा की जावे।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 785 दिनांक 03.07.1986 के अवलोकन से यह ज्ञाहिर हुआ है कि कृषि भूमियों का सह खातेदारो के बीच में सहमति से विभाजन किया गया है और इसमें जो कृषि भूमि है वो श्री बद्रीलाल पिता विजयराम तथा अन्य वारिसान श्री रामलाल, मगनलाल, जमनाबाई, तुलसीबाई पिता रतनलाल तथा मेटु बेवा फतहलाल के नाम पर दर्ज की गयी है और श्री पुरूषोत्तम लाल पिता विजयराम भी एक सह खातेदार है तथा उनके नाम पर भी भूमि का बंटवारा किया गया है। यहां पर हम यह देखते है कि इसमें तीन आराजीयात चाह थी अर्थात् कुऍ थे, इनके नम्बर 202, 213 और 225 है यह कुए सभी सह खातेदारों के नाम पर रखे गए है परन्तु जब सभी सहखातेदारो का नाम इसमें लिखा गया तो इसमें पुरूषोत्तम लाल पिता श्री विजयराम का नाम छुट गया अर्थात् यह एक मानवीय त्रुटी प्रकट होती है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कृषि भूमि का बंटवाया किया जाए और पुरूषोत्तम लाल को कृषि भूमि तो दी जाए परन्तु उन भूमियों में स्थित आराजी चाह अर्थात् कुंऐ जिससे की भूमि की सिंचाई होती है वह नहीं दिए जाए और नहीं दिए जाने का कोई कारण भी यहां प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि जब सभी लोगों का नाम कुऐ में लिखा गया है तो पुरूषोत्तम का नाम नहीं लिखा जाना एक लिपिकीय त्रुटी यहां पर पायी जाती है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जहां तक बात है मियाद पर आपत्ति किये जाने कि तो इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है तथा इस प्रकार की त्रुटी चाहे कभी भी की गयी हो और उसमें कुंऐ के पानी का सहमति से बंटवारा चला आ रहा हो और अब यदि कुंऐ के पानी के बंटवारे से किसी खातेदार को रोक दिया गया हो तब उसे इस लिपिकीय त्रुटी के बारे में राजस्व रिकॉर्ड से पता चला हो तो स्वाभाविक है वो इस त्रुटी के लिए न्यायालय की शरण लेगा। तो उसे राहत नहीं देना मैं, न्यायहित में उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत मै, यहां पर नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 03.07.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत विचारणीय अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 03.07.1986 को अपास्त किया जाता हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि वह उक्त आराजी संख्या 202, 213 और 225 किस्त चाह में नियमानुसार अपीलान्ट श्री पुरूषोत्तम लाल पिता विजयराम का नाम भी सम्मिलित करे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद